

कार्यालय नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म०प्र०,भोपाल.

क्रमांकजीपीआर/दो/8/2/0008/2020/ 1292

भोपाल, दिनांक 14-9-2020

ई-निविदा सूचना

स्प्रिंग फाईल विथ स्टैंड के निर्धारित तकनीकी विवरण अनुसार समस्त कर सहित प्रदाय करने के इच्छुक निर्माता, विक्रेता एवं प्रदायकर्ता फर्मों से आईटी डिपार्टमेंट की वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> से ऑनलाईन निविदाएं दिनांक 28-9-2020 अपरान्ह 1.00 बजे तक की-डेट्स अनुसार आमंत्रित की जाती हैं।

2. ऑनलाईन तकनीकी निविदा की हार्डकापी, नमूनें अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित, शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन तकनीकी भाग को दिनांक 29-9-2020 को अपरान्ह 2.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टलसे डाउनलोड किया जावेगा एवं हार्डकापी के प्रस्तुत दस्तावेजों को खोला जावेगा।

3. किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना <https://mptenders.gov.in> एवं www.govtpressmp.nic.in पर उपलब्ध रहेगी।


उप नियंत्रक,

वास्ते नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म०प्र०,भोपाल.


Key Dates and Time

1.	Last Date & Time for Online Submission	: 01.00 PM on 28-9-2020
2.	Last Date & Time for Submission of Hard Copy	: 01.00 PM on 29-9-2020
3	Date & Time of Opening of Technical Bids	: 02.00 PM on 29-9-2020
4	Date & Time of Opening of Commercial Bids	: 04.00 PM on 29-9-2020

निविदा में ऑनलाईन एवं हार्डकापी में निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न अनिवार्य होगा।

- 1- जीएसटी प्रमाण पत्र।
- 2- आयकर विभाग का पेनकार्ड।
- 3- अद्यतन भुगतान किये गये विद्युत एवं टेलीफोन का देयक।
- 4- निविदा के तकनीकी विवरण एवं शर्तों पर सहमति स्वरूप पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर।
- 5- तकनीकी विवरण अनुसार नमूना तैयार कर पेपर निर्माता मिल का नाम, जीएसएम एवं डमी संलग्न कराना होगा।
- 6- निविदा प्रपत्र राशि रूपये 2,000/- प्रोसेसिंग फीस एवं कर अतिरिक्त का ऑनलाईन भुगतान कर क्रय किया जा सकेगा।
- 7- निविदा निक्षेप राशि रूपये 20,000/- का भुगतान ऑनलाईन जमा करना होगा एवं प्रमाण स्वरूप ऑनलाईन जका राशि का अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
- 8- फर्म का पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
- 9- फर्म में लेटर हैड पर इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा कि फर्म राज्य/केन्द्र शासन के किसी भी कार्यालय में ब्लैक लिस्टेड/प्रतिबंधित नहीं है।

नोट : समस्त दस्तावेजों की छाया प्रतियों पर निविदाकार (मुद्रक) की पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथाकी स्थिति में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।


उप नियंत्रक,
वास्ते नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म०प्र०, भोपाल.

तकनीकी विवरण एवं शर्तें

क्र०	सामग्री	संख्या	विवरण
1	2	3	4
1	स्प्रिंग फाईल विथ स्टैण्ड नीले रंग में	20,000 नग	- ओपन साइज 14X22 इंच (स्पाइन 7 सेमी), 03 फोल्ड विथ क्रीजिंग, बोथ साइड ब्लेक रंग में प्रिंटिंग, राउण्ड कार्नर, - 350 जीएसएम कलर फाईल बोर्ड, रंग नीला एवं पीला, - इनसाइड स्प्रिंग क्लीप साइज 5 X 1.5 इंच
2	स्प्रिंग फाईल विथ स्टैण्ड पीले रंग में	70,000 नग	

- उपरोक्त तकनीकी विवरण अनुसार सामग्री के पेपर सहित मुद्रण, बंधन, पैकिंग, परिवहन, समस्त व्यय एवं अन्य समस्त कर सहित प्रदाय हेतु निर्माता, विक्रेता एवं प्रदायकर्ता फर्मों से ऑनलाईन निविदा दिनांक 28-09-2020 अपराह्न 1.00 बजे की-डेट्स अनुसार आमंत्रित की जाती है। तकनीकी भाग में प्रस्तुत दस्तावेजों की हार्डकापी की-डेट्स अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 29-09-2020 अपराह्न 1.00 बजे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तकनीकी भाग के दस्तावेजों की सूची अनिवार्यतः संलग्न करना होगा। नमूने कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अवलोकन कर सकते हैं। नमूने देखकर दरों का आकलन करें।
- तकनीकी भाग दिनांक 29-09-2020 को अपराह्न 2:00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष ऑनलाईन पोर्टल से डाउनलोड की जावेगी एवं हार्डकापी के प्रस्तुत दस्तावेजों को खोला जावेगा। फर्म द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि का अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- तकनीकी भाग में सफल निविदाकारों की कार्यालय भाग की-डेट्स अनुसार दिनांक 29.09.2020 को अपराह्न 4:00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। निविदाकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि टेण्डर ओपनिंग के समय अवश्य उपस्थित रहें।
- कार्यादेश प्राप्ति के 03 दिवस के पश्चात पेपर सहित प्रूफ का अनुमोदन विभाग से कराना होगा। प्रूफ का पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा। सामग्री का प्रदाय सेम्पल अनुसार अनुमोदित होने की तिथि से सम्पूर्ण सामग्री 20 दिवस के अन्दर अनिवार्यतः सचिव, म०प्र० राज्य निर्वाचन आयोग, 58, अरेरा हिल्स, निर्वाचन भवन, भोपाल को प्रदाय कराना होगा। सामग्री की आपूर्ति उपरान्त देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित विभाग को प्रस्तुत करना होगा।

5. यदि प्रदाय की गई सामग्री निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता के अनुसार नहीं पायी गई अथवा किसी भी कारण से खराब अथवा उपयोग योग्य नहीं पाई गई तो ऐसी समस्त सामग्री मुद्रक को वापस लेना होगी तथा उसके स्थान पर निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता के अनुसार मुद्रण कर प्रदाय की जाना होगी। इस संबंध में होने वाला समस्त व्यय मुद्रक को वहन करना पड़ेगा।
6. स्प्रिंग फाईल फोल्डर को सुव्यवस्थित प्लास्टिक लिफाफे में 50-50 की पैकिंग करना होगा। सामग्री को कार्टून में पैक कर कार्टून के पृष्ठ भाग में क्रमांकित कराकर सामग्री प्रदाय करना होगा। पैकिंग इस प्रकार की जाय कि सामग्री प्रदाय स्थल तक बिना क्षति के प्राप्त हो सके। मुद्रक द्वारा सामग्री की आपूर्ति उपरान्त देयक नमूनें सहित देयक सत्यापन हेतु विभाग को प्रस्तुत करना होंगे। सत्यापन पश्चात् देयक का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा सीधे मुद्रक को किया जावेगा।
7. मुद्रक द्वारा सामग्री की आपूर्ति उपरान्त देयक मुद्रण कार्य की गुणवत्ता, संख्या, माल प्राप्ति की संतुष्टि/उसकी मात्रा के प्रमाण-पत्र के साथ नमूनें सहित देयक तीन प्रतियों में सत्यापन हेतु संबंधित विभाग को प्रस्तुत करना होगा। देयक का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा सीधे मुद्रक को नियमानुसार देयकों पर लगने वाले कर का कटौती कर किया जायेगा।
8. गुणवत्ता में कमी एवं प्रदाय में विलम्ब होने की स्थिति में मुद्रित सामग्री स्वीकार्य नहीं होगी एवं आंशिक विलम्ब की स्थिति में प्रति दिवस 0.5% तक शास्ति अधिरोपित की जावेगी।
9. सफल निविदाकार को इस कार्यालय से सूचना प्राप्ति के 3 दिवस के अन्दर कुल मुद्रण राशि की 10% राशि का एफ.डी.आर. नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, म०प्र०, भोपाल के पक्ष में 12 माह की अवधि के लिए प्रतिभूति की राशि के रूप में जमा कर तत्काल अनुबंध निष्पादित करना होगा। निश्चित समयावधि में अनुबन्ध-पत्र हस्ताक्षर नहीं करने पर निविदा निक्षेप राशि राजसात कर ली जावेगी। साथ ही उच्च दर वाले निविदाकार को कार्य सौंपे जाने पर जो अन्तर की राशि आवेगी, उसकी वसूली भू-राजस्व के तहत की जावेगी एवं संबंधित निविदाकार को आगामी तीन वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया जावेगा।
10. सामग्री की अनुमानित संख्या में 15% तक कमी या वृद्धि की जा सकेगी।
11. निविदा में अंकित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की कोई शर्तें मान्य नहीं की जावेगी।

12. शासन द्वारा समय-समय पर जारी भुगतान संबंधी प्रतिबंधों या अपरिहार्य परिस्थिति आने के कारण यदि भुगतान में विलम्ब की स्थिति निर्मित होती है तो लंबित भुगतान पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
13. मुद्रक को प्रिंट लाईन संक्षिप्त में विभाग से अनुमति प्राप्त कर अंकित करना होगा।
14. यह निविदा आमंत्रण किसी प्रकार का कार्यादेश नहीं है। किसी भी निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार नियंत्रक को होगा। इसके अतिरिक्त निविदाओं के आमंत्रण के पश्चात कार्यादेश जारी करने अथवा न करने का पूर्ण अधिकार नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, म०प्र०, भोपाल का होगा।
15. किसी भी प्रकार का विवाद की स्थिति में अनुबन्ध के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, राजस्व विभाग को भेजा जावेगा और उनका निर्णय दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा। आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलिएशन एक्ट मध्यप्रदेश सुलह अधिकरण अधिनियम 1983 के प्रावधान लागू होंगे।

नोट:- निविदाकार शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर पदमुद्रा
सहित अंकित कर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करें।


उप नियंत्रक,

वास्ते नियंत्रक,

शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म०प्र०, भोपाल.